

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
आई0सी0डी0एस0,  
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,

दिनांक: 17 मार्च, 2005

विषय:-वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू0 70.50 लाख (रू0 सत्तर लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	मद का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)
1	118-आई0सी0डी0एस0में अभिनव प्रयोग	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	37.00
2	119-प्रोदेशिक बाल विकास बोर्ड	42-अन्य व्यय	3.00
3	120 - पोषण मापक/स्तनपान योजना	20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	30.00
4	0602-बाल विकास समारोह	42-अन्य व्यय	0.50
	योग -(रू0 सत्तर लाख पचास हजार )		70.50

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा, जिसके लिये आवंटित की गयी है।

3- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- आई0सी0डी0एस0 में अभिनव प्रयोग योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाये।


5- प्रोदेशिक बाल विकास बोर्ड एवं पोषण मापक/स्तनपान योजना को उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशानुसार धनराशि का व्यय किया जाये।

6- बाल दिवस समारोह के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 50 हजार के समुल्य धनराशि उत्तरांचल एवं महिला बाल विकास सोसाइटी के खाते में जमा धनराशि के ब्याज से पूर्व में यथासमय व्यय कर ली गयी है। अतएव बाल दिवस समारोह के लिये स्वीकृत रू0 50 हजार को अग्रिम आहरण कर सोसाइटी के खाते में जमा कर दी जाये।

15/23- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-15 की लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -02- समाज कल्याण-102- बाल कल्याण -01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें के अन्तर्गत योजना कौड संख्या-01-18, 01-19, 01-20, एवं 0602 में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-1249 / वि0अनु0-2 / 2005 दिनांक 9 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

  
(एस0के0मुदद)  
प्रमुख सचिव।


संख्या 2001 / दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 6- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 7- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
- 8- गार्ड फाईल।

9- एन०आई०सी० एमिवाबफ. जीएसए।

आज्ञा से

  
(हेमलता ढौंडियाल)  
अपर सचिव।